राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 5(1)मं.मं. / 2014 जयपुर, दिनांकः 18/9/18

आज्ञा

मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 159 / 2018 दिनांक 10.08.2018 के अनुसरण में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की धारा 58 के उपबंधों की प्रयोज्यता से छूट हेतु प्राप्त प्रकरणों के वर्गीकरण यथा उपापन संस्था अथवा संस्थाओं के किसी वर्ग / प्रवर्ग को उक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के किन्हीं अथवा समस्त उपबंधों की प्रयोज्यता से छूट दिए जाने के प्रकरणों की प्रक्रिया एवं वर्गीकरण हेतु निम्नांकित मंत्रीगण की एक उपसमिति का गठन एतद्द्वारा किया जाता हैः–

1. श्री राजपाल सिंह शेखावत, मंत्री, उद्योग विभाग
2. श्री श्रीचन्द कृपलानी, मंत्री, नगरीय विकास विभाग
3. श्री यूनुस खान, मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग

उक्त मंत्रीमण्डलीय उप समिति के समक्ष राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 58 के अन्तर्गत छूट के लिए प्राप्त उपापन प्रकरणों के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगीः–

1. उपापन के ऐसे प्रकरण जिनमें उपापन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो, निम्नांकित शर्तों के अधीन मंत्रीमण्डल द्वारा अधिकृत उपरोक्त उप समिति को सौंपे जाएंगेः–
   (अ) संबंधित प्रशासनिक विभाग सहमत है कि प्रकरण प्रकृति से अपवादात्मक है तथा प्रकरण को छूट के लिए उपयुक्त मानते हुए इस हेतु स्पष्ट अनुशंषा की जाए तथा
   (ब) दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

उक्त मंत्रीमण्डल उप समिति की बैठक मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा आमंत्रित की जाएगी तथा बैठक में संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के आधार पर मंत्रिमण्डलीय उपसमिति का निर्णय मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित कर दिया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह०

(शिखर अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव समस्त विभाग।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. विशिष्ठ सहायक / निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
8. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव